




कार्यालय ज्ञाप

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रदेश में कोविड-19 के प्रकोप के कारण लागू लाकडाउन के क्रम में उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा राज्य में संचालित होने वाले उद्योगों/अस्पतालों/होटल, धर्मशाला, आश्रम/खनन पट्टों इत्यादि जिनको राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जल (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम 1974 एवं वायु (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम 1981 के अन्तर्गत सहमति एवं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के नियमान्तर्गत प्राधिकार की वैधता अवधि 31 मार्च 2020 तक निर्गत की गयी थी, को पूर्व सहमति एवं प्राधिकार की शर्तों के साथ दिनांक 30.06.2020 तक के लिए बढ़ाया जाता है।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।



(एस0 पी0 सुबुद्ध)
सदस्य सचिव

यूईपीसीबी/एच.ओ./ सा0-30(Vol.-II) /2020/ 3

दिनांक 24.04.2020

प्रतिलिपि:

1. अध्यक्ष, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
2. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. निदेशक खनन, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. निदेशक उद्योग, उत्तराखण्ड शासन, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. उद्योग संघ, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7. समस्त क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
8. गार्ड फाईल।


सदस्य सचिव
01082